न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री सत्यनारायण आरएएस

प्रकरण सं0 : 95/2020

1. मदनसिंह पुत्र रामेश्वर जाति जाट निवासी डूँगरसिंहपुरा त0 भादरा।

:— वादी

ब ना म

1. रामेश्वर पुत्र बींझाराम जाति जाट निवासी डूँगरसिंहपुरा त0 भादरा।
2. महेन्द्रसिंह पुत्र रामेश्वर जाति जाट निवासी डूँगरसिंहपुरा त0 भादरा।
3. हनुमानसिंह पुत्र रामेश्वर जाति जाट निवासी डूँगरसिंहपुरा त0 भादरा।
4. रामकला पुत्री रामेश्वर जाति जाट निवासी डूँगरसिंहपुरा त0 भादरा।
5. एसबीआई शाखा भादरा जरिये शाखा प्रबन्धक।

:— प्रतिवादीगण

दावा बाबत : घोषणात्मक एवं रिकार्ड दुरूस्ती
अन्तर्गत धारा 88 राज0काश्त0अधि 1955

उपस्थिति : वकील श्री मुंशीराम गोस्वामी : वादीगण
वकील श्री सुरजीत बीजारणिया : प्रतिवादीगण

निर्णय दिनांक 02-02-2021

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा डूँगरसिंहपुरा के खाता सं 56/43 के खसरा सं 2/1 की 11.448है0 बारानी खातेदारी प्रतिवादी सं0 1 रामेश्वर के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। जो पहले वादी के दादा बींझाराम की खातेदारी हुआ करती थी। बींझाराम से उक्त भूमि को प्रतिवादी सं0 रामेश्वर ने कर्ता खानदान होने के चलते तन्हा अपने नाम विरासतन दर्ज करवा ली।

वादी एंव प्रतिवादगण हिन्दू है तथा हिन्दू विधि से शासित होती है। वादभूमि वादी की दादालाई पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्म से हक एवं अधिकार निहित है। वादी अपनी बंटवारा की भूमि को समतल, उपजाउ बनाकर सुधार करना चाहते है जिसके लिए उन्हे केसीसी, ऋण आदि की आवश्यकता रहती है इसलिए वादी ने प्रतिवादीगण को उक्त वाद भूमि को अपने हक हिस्सा अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने के लिए कहा तो वे ऐसा करने से साफ इन्कार हो गये लिहाज़ा यही बिनाए मुखासमत है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के उपरान्त वादी एवं प्रतिवादी सं 1 ता 4 की ओर से आपसी सहमति से राजीनामा पेश किया । राजीनामा की सभी मद संख्या को स्वीकार करते हुए व अपने पहचान पत्रों को प्रस्तुत किया। प्रतिवादी सं 05 की वकील वादी ने तर्क अंकित किया। उभयपक्षकारों द्वारा राजीनामा पेश किये जाने पर तनकी की कोई आवश्यकता नही है। अतः पत्रावली में साक्ष्य करवाया गया।

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक)भादरा

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2021.03.19 11:27:58 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

साक्ष्य वादी में पीडब्ल्यु 1 मदनसिंह के बयान करवाये गये। दस्तावेजी साक्ष्य में सत्यप्रतिलिपि जमावंदी रोही डूँगरसिंहपुरा प्रदर्श 1 जमावंदी सवंत 2029–2038 प्रदर्श 2 वारिस प्रमाण पत्र प्रदर्श 3 प्रदर्शित करवाये।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने वाद के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि वाद भूमि वादी की दादालाई पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्म से हक हिस्सा है। उक्त वाद भूमि प्रतिवादी सं 1 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज होने पर वादी के हकों पर विपरित असर पड़ता है। इस प्रकार मुताविक राजीनामा व वाद में वर्णित भूमि पैतृक सम्पति साबित होने पर वाद वादी डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया।

हमारे द्वारा विद्वान अभिभाषक की वहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेज का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रकरण में वादी ने ग्राम डूँगरसिंहपुरा के राजस्व रिकार्ड में अपने पिता के नाम दर्ज भूमि में अपने हकों की घोषणा करवाने हेतु वाद पेश किया है। वादी ने दावा की पुष्टि में जों सत्यप्रतिलिपि जमावंदी रोही डूँगरसिंहपुरा प्रदर्श 1 व 2 प्रदर्शित करवाये उनमें वाद भूमि वादी के दादा बींझाराम के नाम दर्ज है जिससे वादभूमि दादालाई पैतृक कृषि भूमि होना साबित है एवं वारिस प्रमाण पत्र प्रदर्श 3 में रामेश्वर के वारिसान में 3 पुत्र महेन्द्रसिंह, हनुमानसिंह व मदनसिंह व एक पुत्री रामकला तथा इनके अलावा अन्य कोई वारिसान नहीं होना अंकित है। इस प्रकार उक्त वाद भूमि में वादी तथा प्रतिवादी सं 1 ता 3 को बहिस्सा बराबर के खातेदार घोषित कियें जावें। चूंकि प्रतिवादी 4 ने अपना हक हिस्सा वादी तथा प्रतिवादी सं 1 ता 3 के पक्ष में त्याग कर शुन्य कर लिया है। इस प्रकार वाद वादी मुताबिक राजीनामा व पैतृक सम्पति के आधार पर स्वीकार योग्य होने पर स्वीकृत किया जाता है।

<u>कियात्मक आदेश</u>

अत : वाद वादी साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है रोही मौजा डूँगरसिंहपुरा के खाता सं 56/43 के खसरा सं 2/1 की 11.448है0 बारानी खातेदारी प्रतिवादी सं 01 रामेश्वर के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है **में** वादी तथा प्रतिवादी सं 1 ता 3 को बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। चूंकि प्रतिवादीया सं 4 ने अपना हक हिस्सा वादी व प्रतिवादी सं 1 ता 3 के पक्ष में त्याग कर शुन्य कर लिया है अतः त्याग किये गये हिस्से पर नियमानुसार पंजीयन विभाग को देय पंजीयन शुल्क व स्टाम्प ड्यूटी अदा करने व यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त ही उपरोक्तानुसार वादी मदनसिंह प्रतिवादी सं 01 रामेश्वर प्रतिवादी सं 02 महेन्द्रसिंह प्रतिवादी सं 03 हनुमानसिंह को बहिस्सा बराबर के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 02-02-2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2021.03.19 11:27:58 IST
Reason: SelfAttested

(सत्यनारायण) R.A.S.
सहायक कलेक्टर (फास्ट-ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

Scanned with CamScanner

पर्चा डिक्री

न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री सत्यनारायण आरएएस

प्रकरण सं0 : 95/2020

अनवान :

1. मदनसिंह पुत्र रामेश्वर जाति जाट निवासी डूँगरसिंहपुरा त0 भादरा।

:– वादी

ब ना म

1. रामेश्वर पुत्र बींझाराम जाति जाट निवासी डूँगरसिंहपुरा त0 भादरा।
2. महेन्द्रसिंह पुत्र रामेश्वर जाति जाट निवासी डूँगरसिंहपुरा त0 भादरा।
3. हनुमानसिंह पुत्र रामेश्वर जाति जाट निवासी डूँगरसिंहपुरा त0 भादरा।
4. रामकला पुत्री रामेश्वर जाति जाट निवासी डूँगरसिंहपुरा त0 भादरा।
5. एसबीआई शाखा भादरा जरिये शाखा प्रबन्धक।

:– प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण सहायक कलक्टर फास्ट–ट्रैक भादरा के समक्ष वकील वादी श्री मुंशीराम गोस्वामी एवं वकील प्रतिवादीगण श्री सुरजीत बिजारणिया की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर एवं वाद वादी साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा डूँगरसिंहपुरा के खाता सं 56/43 के खसरा सं 2/1 की 11.448है0 बारानी खातेदारी प्रतिवादी सं 01 रामेश्वर के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है **में** वादी तथा प्रतिवादी सं 1 ता.3 को बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। चूंकि प्रतिवादीया सं 4 ने अपना हक हिस्सा वादी व प्रतिवादी सं 1 ता 3 के पक्ष में त्याग कर शुन्य कर लिया है अतः त्याग किये गये हिस्से पर नियमानुसार पंजीयन विभाग को देय पंजीयन शुल्क व स्टाम्प ड्यूटी अदा करने व यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त ही उपरोक्तानुसार वादी मदनसिंह प्रतिवादी सं 01 रामेश्वर प्रतिवादी सं 02 महेन्द्रसिंह प्रतिवादी सं 03 हनुमानसिंह को बहिस्सा बराबर के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अप[illegible]

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 02-02-[illegible] को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2021.03.19 11:27:58 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) भादरा
(सत्यनारायण)
R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

Scanned with CamScanner